यदि आपने यौन हमले, अंतरंग साथी द्वारा हिंसा या पीछा करके परेशान करने वालों का सामना किया है

तत्काल उपाय

- **किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं।** आपके RA के कमरे पर, किसी दोस्त के कमरे पर या कैम्पस में किसी खुले कार्यालय में जाएं।
- **किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जिस पर आप विश्वास करते हैं।** कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, या पीड़ित का वकील अच्छे सहायक हैं। आपको इसे अकेले सहने की आवश्यकता नहीं है।
- **सबूतों को सुरक्षित रखें।** यौन हमले के बाद तब तक न नहाएं जब तक आप इस पर विचार न कर लें कि क्या आप हमले के 120 घंटे के अंदर बिना लागत के यौन हमले संबंधी फोरेंसिक जाँच करवाना चाहती हैं। आपको यौन हमले की फोरेंसिक जाँच करवाने के लिए कोई औपचारिक रिपोर्ट या आरोप दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। जो कपड़े आपने पहने थे उन्हें किसी कागज या कपड़े के बैग में सुरक्षित रखें (बिना धोए)। यौन हमले, अंतरंग साथी द्वारा हिंसा और/या पीछा करके परेशान किए जाने के बाद किसी नुकसान या चोट की फोटो लें और संदेश का रिकॉर्ड रखें (जैसे टैक्स्ट, ई-मेल, पत्र)।

24 घंटे के अंदर

- **सहायता माँगें।** आप सहयोग तथा सलाह के लिए किसी वकील या परामर्शदाता के पास जा सकती हैं। वे आपसे अतिरिक्त सहायता सेवाओं तथा रिपोर्टिंग के लिए आपके विकल्पों के बारे में बात करेंगे।
- **अवांछित शारीरिक सम्पर्क के बाद डॉक्टरी सहायता प्राप्त करें।** एक चिकित्सा सेवा प्रदाता शारीरिक चोटों, यौन संचारीसंक्रमणों तथा गर्भावस्था की जाँच कर सकता है और इनका इलाज कर सकता है। आपको डॉक्टरी देखरेख प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिक रिपोर्ट करने या आरोप दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

किसी भी समय

- **एक औपचारिक रिपोर्ट करने पर विचार करें।** आपको पुलिस तथा विश्वविद्यालय - दोनों को यह रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आपके साथ क्या हुआ। आप यह निर्धारित कर सकती हैं कि आप किसी अन्वेषण प्रक्रिया में कितना भाग लेना चाहेंगी।
- **UConn सहायता कर सकता है।** कैम्पस-आधारित संसाधन, जैसे छात्र कार्यालय का डीन आपके रहने, कक्षाओं, कार्य तथा अन्य बातों में आपकी सहायता कर सकता है। आपको UConn से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिक रिपोर्ट करने या आरोप दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

एक सुरक्षित तथा सहयोगी समुदाय के लिए UConn की प्रतिबद्धता

UConn यौन हमले, अंतरंग साथी द्वारा हिंसा और पीछा करके परेशान करने संबंधी उत्पीड़न से मुक्त कैम्पस वातावरण बनाने तथा इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी रिपोर्ट पूरी गंभीरता से ली जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जो रिपोर्ट करता है उसके विरुद्ध बदले पर सख्त प्रतिबंध है।
आप अकेले नहीं हैं। आपको सहायता प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिक रिपोर्ट करने या आरोप दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तिका में दिए गए संसाधन विभिन्न सहायता उपायों के साथ सहायक हो सकते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: चिकित्सा एवं परामर्श सेवाएं; शैक्षणिक सहयोग; कार्य एवं निवास स्थितियों में परिवर्तन; परिवहन, वित्तीय सहायता, वीज़ा और प्रवास मुद्दों के बारे में सहायता; विश्वविद्यालय द्वारा सम्पर्क-समाप्ति पत्र जारी करना; कानूनी एवं वकालत सेवाओं के संदर्भ और अन्य सहायक उपाय।

कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग

विश्वविद्यालय पीड़ित-उत्तरजीवी को सहयोग करने और सामुदायिक सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्य करता है। इसलिए UConn की कर्मचारी रिपोर्टिंग नीतियों के तहत जो कर्मचारी यौन हमले, अंतरंग साथी द्वारा हिंसा या पीछा करके परेशान करने के मामले को देखते हैं या उन्हें इसकी रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, तो उन्हें इसकी रिपोर्ट तुरंत संस्थागत समानता कार्यालय (Office of Institutional Equity - OIE) को करनी चाहिए। इनमें अपवाद के तहत वे कर्मचारी आते हैं जिन्हें कानून द्वारा गोपनीयता रखने का अधिकार दिया गया है, जैसे छात्र स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कर्मचारी।

संघीय क्लैरी अधिनियम के तहत बहुत से कर्मचारियों का संघीय कानून के तहत यह कर्तव्य भी है कि वे अपराधों की सूचना UConn पुलिस विभाग को दें। उनके द्वारा पुलिस को दी जाने वाली सूचना में घटना की तारीख, समय, स्थान और प्रकृति शामिल होगी।

UCONN
UNIVERSITY OF CONNECTICUT

संस्थागत समानता कार्यालय और टाइटल IX समन्वयक (Office of Institutional Equity and the Title IX Coordinator)
WOOD HALL, FIRST FLOOR
241 GLENBROOK ROAD, UNIT 4175
STORRS, CT 06269
860.486.2943

UConn गैर-भेदभाव, समान अवसर, सकारात्मक कार्रवाई और निशक्त व्यक्तियों को उचित आवास उपलब्ध कराने संबंधी सभी लागू संघीय तथा राज्य कानूनों का पालन करता है। सम्पर्क करें:
Office of Institutional Equity; (860) 486-2943; equity@uconn.edu; http://www.equity.uconn.edu.

03/2017

UCONN
UNIVERSITY OF CONNECTICUT

यौन हमला
अंतरंग साथी द्वारा हिंसा
पीछा करना

रिपोर्टिंग तथा संसाधन

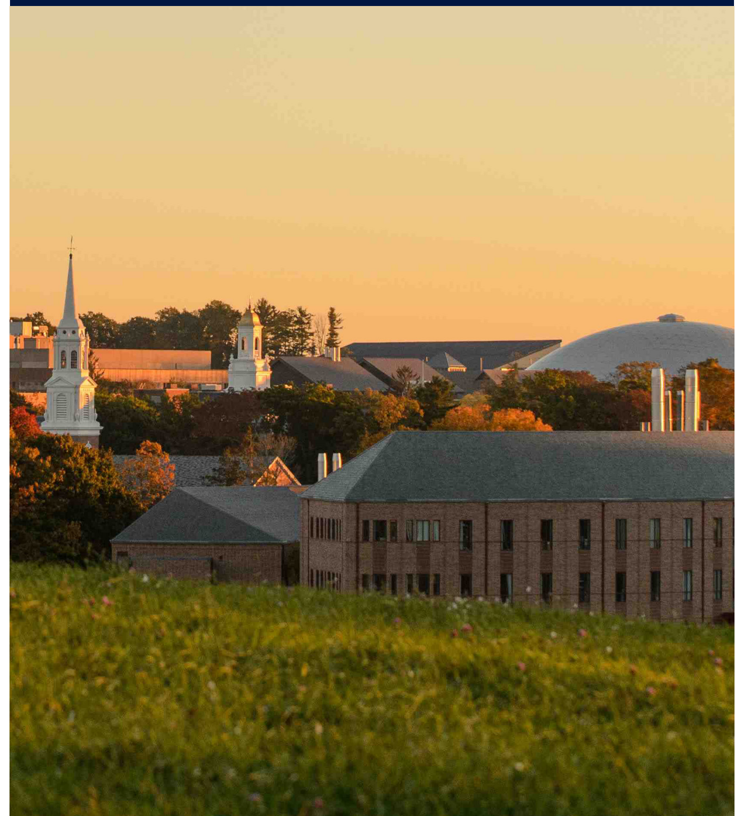

titleix.uconn.edu

यौन हमला क्या है*?

यौन हमले में सहमति के बिना यौन सम्पर्क और/या यौन संभोग शामिल है। यौन हमला किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो।

सहमति क्या है*?

सहमति सकारात्मक शब्दों या कार्यों का एक स्पष्ट आदान-प्रदान होता है जो आपसी सहमति से यौन कार्यकलाप में शामिल होने की इच्छा दर्शाता है। सहमति अवश्य स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए, बिना किसी दबाव के और सक्रिय रूप से दी जानी चाहिए। यह शुरुआती कदम लेने वाले की जिम्मेदारी है कि वह यौन क्रिया के प्रत्येक चरण में स्पष्ट एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करे। यौन क्रिया के एक रूप में [जैसे चुम्बन] सहमति का अर्थ यौन क्रिया के अन्य रूपों [जैसे सेक्स] के लिए सहमति नहीं है। नकारात्मक प्रतिक्रिया न होने का अर्थ सहमति नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल और/या किसी अन्य नशीले पदार्थ के नशे में हो, चाहे स्वेच्छा से या अनिच्छा से लिया गया हो, वह सहमति नहीं दे सकता। पूर्व में शारीरिक संबंध के लिए दी गई सहमति का अर्थ यह नहीं है कि यह सहमति भविष्य में जारी रहेगी।

अंतरंग साथी द्वारा हिंसा (Intimate Partner Violence -IPV) का क्या अर्थ है*?

IPV में हिंसा या हिंसात्मक धमकी का कोई ऐसा कार्य शामिल है जो ऐसे व्यक्तियों के बीच होता है जो किसी यौन, डेटिंग, पति/पत्नी, घरेलू या अन्य अंतरंग संबंध में रहे हों। IPV में यौन हमला, पीछा करना और शारीरिक हमला शामिल हो सकता है। दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने, डराने और/या नियंत्रित करने के लिए शब्दों और/या कार्यों तथा निष्क्रियता के बार-बार प्रयोग के आधार पर व्यवहार के पैटर्न का निर्धारण किया जाता है। यह व्यवहार शाब्दिक, भावनात्मक और/या शारीरिक हो सकता है।

पीछा करने का क्या अर्थ है*?

पीछा करके परेशान करने का अर्थ है जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो ऐसी स्थितियों में किसी विशिष्ट व्यक्ति पर केंद्रित होता है जिससे कोई विवेकशील व्यक्ति अपनी सुरक्षा या अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा महसूस करे या अत्यधिक भावनात्मक पीड़ा का सामना करना पड़े। पीछा करने में एक विशेष प्रकार की पीछा करने की पद्धति "साइबर स्टॉकिंग" शामिल है जिसमें एक व्यक्ति इलेक्ट्रोनिक मीडिया जैसे इंटरनेट, सोशल नेटवर्कों, ब्लॉगों, फोन, टैक्स्ट या अन्य समान उपकरणों या सम्पर्क की प्रणालियों का प्रयोग करता है।

* कृपया नोट करें कि ये परिभाषाएं UConn की नीतियों में हैं और ये कानून लागू करने की कार्यवाही में अपनाया जाने वाला समान मानक नहीं हैं।

रिपोर्टिंग और अन्वेषण

पीड़ित-उत्तरजीवियों (victim-survivors) को सहायता एवं अन्वेषण के लिए पुलिस और विश्वविद्यालय, दोनों के यहाँ रिपोर्ट करने के लिए पुरज़ोर रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। जो छात्र और कर्मचारी विश्वविद्यालय की नीतियों और आचार संहिताओं का उल्लंघन करते हैं उन्हें निष्कासन और/या बर्खास्त करने तक की और इसके अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। **पीड़ित-उत्तरजीवियों को किसी अन्वेषण में आगे भाग लिए बिना हमलों की रिपोर्ट करने का अधिकार है।**

UConn पुलिस विभाग

दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध

126 North Eagleville Road, Storrs
860.486.4800 | police.uconn.edu

- कैम्पस में होने वाले अपराधों की सभी आपराधिक जाँचों के लिए जिम्मेदार
- विशेष पीड़ित इकाई से एक अधिकारी को पूरी जाँच के दौरान पीड़ित-उत्तरजीवी के साथ प्रारंभिक सम्पर्क व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- कैम्पस के बाहर होने वाले अपराधों के लिए राज्य या स्थानीय पुलिस जाँच के लिए जिम्मेदार है

सामुदायिक मानक कार्यालय (The Office of Community Standards)

सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, सोमवार - शुक्रवार

Wilbur Cross Building, Room 301 233 Glenbrook Road, Storrs 860.486.8402 | community.uconn.edu

- यह तब जाँच करता है जब आरोपी व्यक्ति UConn का छात्र हो या ऐसी संभावना हो
- विश्वविद्यालय सम्पर्क-प्रतिबंध पत्र जारी करता है

संस्थागत समानता कार्यालय (OIE) और टाइटल IX समन्वयक

सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध, सोमवार - शुक्रवार

Wood Hall, First Floor 241 Glenbrook Road, Storrs
860.486.2943 | titleix.uconn.edu

- तब जाँच करता है जब आरोपी व्यक्ति UConn का कर्मचारी हो
- UConn की टाइटल IX समन्वयक एलिजाबेथ कोंकलिन यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि सभी रिपोर्टों को UConn द्वारा देखा जाए और जाँच की जाए

गोपनीय संसाधन (कैम्पस में)

OIE को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है

छात्र स्वास्थ्य सेवाएं

कॉल पर परामर्श नर्स 24/7: 860.486.4700*

234 Glenbrook Road, Storrs
फोन: 860.486.2719 (अपॉइंटमेंट डेस्क)
shs.uconn.edu

- पीड़ित-उत्तरजीवियों के लिए संकट एवं अनुवर्ती देख-भाल
- मुफ्त चिकित्सा जाँच, दवाइयां, STD परीक्षण, और परामर्शदाता के पास भेजना
- यौन हमले के स्थान की फोरेंसिक जाँच (पतझड़ और बसंत सेमेस्टर)

** सेमेस्टर और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सलाह हेतु नर्स सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रोजाना उपलब्ध है*

परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं (CMHS)

कॉल पर थेरपिस्ट 24/7: 860.486.4705*

कार्यालय समय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, सोमवार - शुक्रवार

Arjona Building, 337 Mansfield Road, Storrs
860.486.4705 | counseling.uconn.edu

- हाल ही के या पूर्व के पीड़ित-उत्तरजीवियों के लिए तत्काल संकट बचाव प्रयास और थेरपी
- थेरपिस्ट से समय लेकर, सीधे आकर या निर्धारित समय के बाद आपातकाल में मिला जा सकता है

** सेमेस्टर और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान थेरपिस्ट सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रोजाना उपलब्ध है*

मजबूत सहायता समूह (Stronger Support Group)

मिलने के समय के लिए CMHS से संपर्क करें: 860.486.4705

- UConn छात्र पीड़ित-उत्तरजीवियों के लिए गोपनीय सहायता एवं चर्चा समूह
- पीड़ित-उत्तरजीवियों को दृढ़ता प्राप्त करने एवं सशक्त बनाने के लिए सहायता करने हेतु सहयोगी, गोपनीय वातावरण

एक पीड़ित-उत्तरजीवी की विश्वविद्यालय के कर्मचारी के साथ बातचीत को *निजी* रखा जाएगा (अनावश्यक रूप से किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा), केवल किसी गोपनीय व्यक्ति के साथ हुई बातचीत को ही गोपनीय रखा जा सकता है (जिसे पीड़ित-उत्तरजीवी द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति दिए बिना किसी और के साथ साझा नहीं किया जाएगा)।

गोपनीय संसाधन (कैम्पस के बाहर)

OIE को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है
सभी सेवाएं मुफ्त एवं गोपनीय हैं।

यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए कनैक्टिकट अलायंस

राज्य-व्यापी हॉटलाइन: 1.888.999.5545 (24/7)
स्पैनिश हॉटलाइन: 1.888.568.8332 (24/7)

- संकट और छोटी अवधि का परामर्श
- अस्पताल, पुलिस और न्यायालय सहायता
- कानूनी सहायता सहित सूचना एवं परामर्श सेवाएं
- यौन हिंसा के पीड़ित-उत्तरजीवियों के लिए सहयोग

स्टोर्स-मैंसफील्ड और एवेरी पॉइंट क्षेत्र
स्थानीय हॉटलाइन: 860.456.2789
पूर्वी कनैक्टिकट का यौन हमला संकट केंद्र
90 South Park Street, Willimantic
78 Howard Street, Suite C1, New London

Waterbury Area
स्थानीय हॉटलाइन: 203.753.3613
ग्रेटर वाटरबरी का सुरक्षित शरण-स्थान
29 Central Avenue, Waterbury

Torrington Area
स्थानीय हॉटलाइन: 860.482.7133
सूसन बी. एंथनी परियोजना
179 Water Street, Torrington

Hartford Area
Local Hotline: 860.547.1022
YWCA यौन हमला संकट सेवाएं (YWCA Sexual Assault Crisis Services)
75 Charter Oak Ave., Building 1, Suite 1-304, Hartford

Stamford Area
स्थानीय हॉटलाइन: 860.547.1022
यौन हमला संकट परामर्श एवं शिक्षा केंद्र (Center for Sexual Assault Crisis Counseling & Education)
733 Summer Street, Suite 503, Stamford

घरेलू हिंसा के विरुद्ध कनैक्टिकट संघ (Connecticut Coalition Against Domestic Violence)

राज्य-व्यापी हॉटलाइन: 1.888.774.2900 (24/7)
स्पैनिश हॉटलाइन: 1.844.831.9200 (24/7)

- घरेलू या डेटिंग हिंसा और पीछा करने के पीड़ित-उत्तरजीवियों के लिए सहयोग
- 24-घंटे का संकट परामर्श

अगोपनीय संसाधन (कैम्पस में)

OIE को रिपोर्ट किया जाना होगा

छात्र कार्यालय का डीन

सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, सोमवार - शुक्रवार

Wilbur Cross Building, Second Floor
233 Glenbrook Road, Storrs
860.486.3426 | dos.uconn.edu | dos@uconn.edu

- कक्षा के समय में परिवर्तन या संशोधन, परीक्षा की समय-सारणी में बदलाव और अन्य सहित शैक्षणिक तथा अन्य मामलों में सहायता करता है
- छात्रों का सहायक डीन उपलब्ध संसाधनों और विश्वविद्यालय जाँच प्रक्रिया को समझा सकता है और पूरी जाँच के दौरान छात्रों की सहायता कर सकता है
- आपको छात्र कार्यालय के डीन से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिक रिपोर्ट या आरोप दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है

आवासीय जीवन विभाग (Department of Residential Life)

RA और हॉल निदेशक शैक्षणिक वर्ष के दौरान 24/7 कॉल पर रहते हैं।

Whitney Hall, Garden Level
1346 Storrs Road, Storrs
860.933.2220 | reslife.uconn.edu

- जानकार और कैम्पस सेवाओं के बारे में सूचना देने में सक्षम
- पीड़ित-उत्तरजीवियों को कैम्पस जाँच प्रक्रिया में आगे बढ़ने में सहायता करता है
- आवास में परिवर्तन का कार्य देखता है

महिला केंद्र (Women's Center)

सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, सोमवार - शुक्रवार

छात्र संघ (Student Union), Fourth Floor
2110 Hillside Road, Storrs
860.486.4738 | womenscenter.uconn.edu

- रिपोर्टिंग और जाँच के दौरान साथ रहने के सहित सलाह एवं सहयोग उपलब्ध कराता है
- सूचना एवं परामर्श सेवाएं
- पीड़ित-उत्तरजीवियों का लिंग-भेद किए बिना उन्हें सहायता उपलब्ध कराते हैं